न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./4320/2006/भरतपुर

1– धर्मसिंह)
2– जयसिंह)
3– भूपेन्द्र सिंह) पिसरान गोपालसिंह
4– गजेन्द्रसिंह)
5– अमरसिंह पुत्र सिन्दरी (मृतक)
जरिये वारिसान :–
5/1. प्रेमसिंह पुत्र अमरसिंह
5/2. शिवचरण पुत्र अमरसिंह
6– सोरनसिह पुत्र सिन्दरी (मृतक)
जरिये वारिसान :–
6/1. गोविन्द सिंह पुत्र सोरनसिंह
6/2. मनीष पुत्र सोरनसिंह
7– करनसिंह पुत्र सिन्दरी (मृतक)
जरिये वारिसान :–
7/1. लक्ष्मीनारायण पुत्र करनसिंह
7/2. राजकुमार पुत्र करनसिंह
समस्त जाति जाट निवासी दौलतगढ़ तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– पदमसिंह पुत्र विद्या (मृतक)
जरिये वारिसान :–
1/1. नरेन्द्र पुत्र पदमसिंह
1/2. खजान सिह पुत्र पदमसिह
1/3. भूरीसिंह पुत्र स्व0 पदमसिंह
1/4. गयाप्रसाद पुत्र पदमसिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण दौलतगढ़ तहसील रूपवास जिला भरतपुर
2– हेतकिशन)पिसरान पूरना
3– मांगीलाल)
समस्त जाति जाट निवासी दौलतगढ़ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4– सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशाषी अभियंता, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः
श्री दुनीचन्द डिंढारिया अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः 21-7-2023

हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2005में पारित निर्णय दिनांक 18-4-2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्तमान प्रत्यथी सं0-1 पदमसिंह ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध अपीलार्थीगण व शेष प्रत्यर्थीगण न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि तहसीलदार, रूपवास ने धर्मसिंह वगैरह के प्रार्थना पत्र बाबत आराजी खसरा नंबर 718 वाके ग्राम दौलतगढ़ का विभाजन कर अलग अलग हिस्सेदारों को हिस्सा अंकित कर नक्शा में तरमीम करने की आज्ञा दिनांक 17-8-2001 को पारित कर दी। इस आदेश के विरूद्ध पदमसिंह ने एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक द्वारा अपील सवीकार कर तहसीलदार की आज्ञा दिनांक 17-8-2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिस पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 28-03-2005 के द्वारा पूर्व के आदेश दिनांक 17-8-2001 को बदस्तूर रखते हुए आदेश पारित किया है। इस आदेश के विरूद्ध पुनः जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जिन्होंने अपील इस आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18-4-2006 के द्वारा स्वीकार की कि चूंकि पक्षकारों के मध्य रेगूलर सूट चल रहा है, अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विवादित आराजी का परीक्षण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। जिला कलक्टर, भरतपुर के उक्त आदेश दिनांक 18-4-2006 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि नियमित वाद का क्षेत्र अलग है तथा नामांतरकरण की प्रक्रिया अलग है, वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता। किन्तु अवधिक रूप से जिला कलक्टर, भरतपुर ने प्रकरण को रिमाण्ड करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार को नक्शा में मौके पर कब्जे के आधार पर भू-अभिलेख

के नियमों के नियम 59 से 62 एवं 354 के तहत तरमीम करने का अधिकार है तथा तहसीलदार द्वारा नक्शा में तरमीम का जो आदेश पारित किया है, वह मौके पर कब्जे के आधार पर अलग अलग खेतों के अनुसार सही रूप से पारित किया गया तथा विवादित भूमि 5 भागों में विभाजित है। यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद सं0 118/1998 निर्णय दिनांक 11–9–2002 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। राजस्व मण्डल ने भी निगरानी प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 16–9–98 से निगरानी को खारिज करते हुए अपने निर्णय में विवादित आराजी को अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य पूर्व में ही विभाजित होना माना है, पक्षकारों के पृथक–पृथक खाते राजस्व रिकार्ड में हैं एवं भूमि पर अलग अलग सींव डोल है, अतः इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं कानूनी नजीरों का विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, भरतपुर का निर्णय दिनांक 18–4–2006 निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार, रूपवास का निर्णय दिनांक 28–03–2005 बहाल रखा जावे।

4– इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बताया कि सर्वप्रथम पदमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत आराजी खसरा नंबर 718 वाके ग्राम दौलतगढ़ का विभाजन करने में तहसीलदार द्वारा नक्शा में तरमीम करने की आज्ञा प्रदान की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को अवैधानिक रूप से ही खारिज किया है तथा प्रकरण रिमाण्ड होने से तहसीलदार द्वारा अपने पूर्व आदेश को बदस्तूर रखने पर पुनः जिला कलक्टर, भरतपुर ने पुनः तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है चूंकि पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन है इसलिए उसे देखते हुए ही नियमानुसार निर्णय पारित किया है। इस संबंध में निवेदन है कि वादी का वाद परीक्षण न्यायालय ने सरसरी तौर पर देखते हुए खारिज किया है किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का गहनता से अवलोकन कर पाया है दोनों पक्षकारों की भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिसके संबंध में अच्छे से अच्छी व खराब से खराब भूमि को देखते हुए पक्षकारों के मध्व विधिवत विभाजन किया जाना उचित है। इन तथ्यों के साथ उन्होंने प्रकरण रिमाण्ड किया है। अतः इन सभी तथ्यों को देखते हुए जिला कलक्टर द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर उचित आदेश पारित किया है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण वर्तमान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि जो अलग अलग खातों में दर्ज है, की तरमीम किये जाने के संबंध में है। प्रस्तुत द्वितीय अपीलं जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपील सं0 19/2005 उनवानी पदमसिंह बनाम धर्म सिंह में पारित निर्णय दिनांक 18–4–2006 के विरूद्ध पेश की गई जिसमें जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष अंकित किया है कि पक्षकारों के मध्य रेगूलर सूट उप जिला कलक्टर, रूपवास के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के हक–हकूक तय किये जाने हैं। अन्त मे जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18–04–2006 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार, रूपवास को प्रकरण निर्देशों सहित पुनः निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तगत् अपील पेश की गई है।

7– यह भी उल्लेखनीय है कि उप जिला कलक्टर, रूपवास ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11–9–2002 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद साबित नहीं होने से खारिज किया है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी पदमसिंह ने भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–11–2005 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–9–2002 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण निर्देशों सहित परीक्षण न्यायालय को 6 माह में पुनः निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील सं0 अपील/टी.ए./6323/2005/भरतपुर उनवानी धर्मसिंह वगै0 बनाम पदमसिंह वगै0 पेश की गई। जिसमें माननीय खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 20–7–2023 के द्वारा यह अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि चूंकि दोनों पक्षकारों की भूमि पूर्व से अलग अलग खातों में दर्ज है। संवत 2054 से लगातार पक्षकारान की भूमि अलग अलग खातों में दर्ज चली आ रही है, ऐसी स्थिति में अब केवल पी.डब्ल्यू.डी. में भूमि चले जाने से तथा सड़क बन जाने से सभी खातेदारों को सड़क से लगती हुई भूमि के आधार बंटवारा नहीं किया जा सकता।

9– अतः प्रस्तुत अपील भी अपील/टी.ए./6323/2005/भरतपुर उनवानी धर्मसिंह वगै0 बनाम पदमसिंह वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–2023 के आधार पर निर्णित की जाती है। पत्रावली संबंधित अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि अपील सं0 सं0 6323/2005 की एक सत्य प्रति प्रस्तुत पत्रावली के साथ आवश्यक रूप से संलग्न रखी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य